रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032024-252757 CG-DL-E-08032024-252757

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1129]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2024/फाल्गुन 18, 1945

No. 1129]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2024/PHALGUNA 18, 1945

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 8 मार्च. 2024

का.आ. 1191(अ).—राष्ट्रपित ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (3) के साथ पिठत उस अनुच्छेद के खंड (1) के उपखंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सभा में एक सदस्य को, उस सदन में एक नामनिर्दिष्ट सदस्य, जो अपनी पदाविध के अवसान पर सेवानिवृत्त हो गया है, के स्थान को भरने के लिए, नामनिर्दिष्ट किया है:

अत: अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्य के नाम को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है :—

श्रीमती सुधा मूर्ती.

[फा. सं. एच.11024/03/2020-वि.II]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

 $1714 \text{ GI/}2024 \tag{1}$

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2024.

S.O. 1191(E).—Whereas the President, in exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause (1) of article 80 of the Constitution of India, read with clause (3) of that article, has nominated one member to the Council of States to fill the seat of one nominated member in that House who has retired on the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the name of the following member nominated by the President is hereby notified for general information:-

1. Smt. Sudha Murty.

[F. No. H.11024/03/2020-Leg.II]

DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. & Legislative Counsel